



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124538

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19078/2026

रिहान उर्फ गोलू

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

अभिषेक शुक्ला, शिवम मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक शुक्ला और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक शर्मा को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 215/2025, धारा 103(1), 238, 3(5), 127(2), 308(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना परिक्षितगढ़, जिला मेरठ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि प्रथम सूचनादाता का चचेरा भाई 18.07.2025 को मोहसिन के साथ टाइल स्टोन के व्यवसाय के लिए घर से निकला था। इसके बाद, मोहसिन लौट आया, लेकिन मृतक वापस नहीं लौटा, और प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रथम सूचनादाता ने मृतक के लापता होने में अपीलार्थी और चार अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में आशंका व्यक्त की। बाद में, अपीलार्थी को सह-आरोपी साबिर और आसिफ के साथ गिरफ्तार किया गया,

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और उनके बताने पर मृतक का शव बरामद किया गया। मृतक का शव विच्छेदन 21.07.2025 को किया गया और शव विच्छेदन के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले गला घोटने के परिणामस्वरूप दम घुटना था। मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं पाई गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि मृतक के साथ अपीलार्थी को अंतिम बार किसी ने नहीं देखा था, फिर भी उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वैसे भी, तीन व्यक्तियों द्वारा बताए जाने पर मृतक के शव की संयुक्त बरामदगी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत नहीं पढ़ा जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सह-आरोपी आसिफ उर्फ टोंटा, जिसकी भूमिका अपीलार्थी के समान है, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17510/2026 में दिनांक 21.05.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इसलिए, अपीलार्थी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। अंत में यह भी कहा गया है कि इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और इसलिए अपीलार्थी से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी ने संलग्न हलफनामे में एक मामले के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है और वह 20.07.2025 से जेल में बंद है। यदि अपीलार्थी को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़भाड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी **रिहान उर्फ गोल्** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iii. अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. जमानत स्वीकार करने से पहले अपीलार्थी और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

10. अपीलार्थी और जमानतदारों के दूरभाष संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को **मेरठ जेल अधीक्षक** के माध्यम से ईमेल या ई-कारागार पोर्टल द्वारा और निचली अदालत को ई-मोड

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय 31.01.2023 को लिया गया था और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय 29.05.2026 को लिया गया था।

13. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

2 जून, 2026

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।